

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

जयपुर, दिनांक: 26.03.14

प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

संबंधित कोषाधिकारी,

राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 909 /2013-14)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ. 165(4)लं.ब./ पशाधि/2013-14/1753 दिनांक 21.03.2014 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 64/2013-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रुपये 374.19 लाख (अक्षरे राशि रू तीन करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

--व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

शृंग संख्या-41	(राशि लाख रू. में)
2615- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-सदर्य सहायता [01] संस्थापन (आयोजना)	
12-सहायताएं अनुदान (गैर संवेतन) (सारणी-अ के अनुसार)	159.21
197- ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-सदर्य सहायता [01] संस्थापन (आयोजना)	
12-सहायताएं अनुदान (गैर संवेतन) (सारणी-ब के अनुसार)	214.98
	374.19
कुल योग	374.19

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले चारधर्स में संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किन्ती भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

आदर्श दुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय

(एम.एल. आंब्राय)

उपशासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियाँ सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (सीकर व झुंझुनू को छोड़कर) समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (सीकर व झुंझुनू की समस्त पंचायतों को छोड़कर) समस्त।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

उपशासन सचिव, वित्त (बजट)